under sub-seetion (5) ot section 45 of the Food Corporation Act, 1964.

[Placed in Library *See* No. LT-745*/89].

12 Noon

ANNOUNCEMENT *RE* GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 13TH MARCH, 1989

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB.): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing Monday, the 13th March, 1989, will consist of:—

1. Further discussion on the Railway Budget for 1989-90.
2. Consideration and passing of
   (a) The Central Industrial Security Force (Amendment) Bill, 1988.
   (b) The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Amendment Bill, 1987.
3. General discussion on the General Budget for 1989-90.

SHORT DURATION DISCUSSION
Functioning of Government Hospitals n Delhi

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय सभापति जी, मैं अत्यन्त आभारी हूं कि आपने दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण के संबंध में चर्चा के लिए अनुमति प्रदान की है।

[उप सभापति पीठासीन हुई]

मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली जो इस देश की राजधानी है और जिसकी जनसंख्या 84 लाख है उसमें इलाज के लिए न केवल दिल्ली के लोग वहां के अस्पतालों में जाते हैं बल्कि दिल्ली के अन्य प्रदेशों से आने वाले लोग भी इलाज के लिए आते हैं यह सोचते हुए कि दिल्ली में उपचार की एक समुचित और सुव्यवस्थित व्यवस्था होगी। आज जब हम दिल्ली के अस्पतालों के कार्यकरण पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति कैसी है। दिल्ली के अस्पतालों के डाक्टर्ज़ की अवस्था क्या है, वहां काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति क्या है और साथ ही क्या वहां समुचित दवाइयों की व्यवस्था है। महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि दिल्ली में निरन्तर बढ़ती हुए आबादी को मद्देनज़र रखते हुए मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है। इससे जो अभी अस्पताल है आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ् मेडिकल साईसेज़ के अतिरिक्त जो डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, सफ़दरजंग अस्पताल है, एस.के. हास्पीटल है, एल.-एल. जे. पी. हास्पीटल है, सेंट स्टीफन हास्पीटल है, बाड़ा हिन्दुराव हास्पीटल है, ये अस्पताल पर्याप्त नहीं हैं। इन पर इतना प्रैशर पड़ रहा है, इतना दबाव पड़ रहा है कि यहां पर जो मरीज़ जाते हैं उनकी पर्याप्त देखभाल करना बड़ा असंभव हो गया है। यह एक खुशी की बात है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने 11 और पेरिफरल हास्पीटल खोले जाने की आवश्यकता को मद्देनज़र रखते हुए प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कुल अस्पताल अभी कमीशंड हैं और कुछ आपरेशनल, लेकिन मुझे यह कहते हुए काफी अफसोस हो रहा है कि इनमें से कुछ अस्पताल हैं जहां कि अभी तक जमीन का पजेशन नहीं मिल पाया है और वहां यह बात कही गई थी ओ०पी०डी० सर्विसेज मार्च में प्रारंभ हो जाएंगी। यह अस्पताल हैं — फूदखुर्द, मैदानगढ़ी, रघुवीर नगर, रोहिणी कांपलेक्स, सिरसपुर। जहां तक रोहिणी कांपलेक्स में 500 बिस्तर वाले अस्पताल को छोड़कर अन्य अस्पतालों में 100-100 बिस्तरों का उल्लेख स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। मुझे मालूम है कि जो हमारी वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं, काफी दक्ष हैं, निपुण हैं, सक्षम हैं और काफी चुस्त हैं और चूंकि बहुत चुस्त है, इसलिए अस्पतालों की अवस्था को भी दूरूस्त करेंगी, ऐसी मेरी मान्यता है। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप मैं इस चर्चा के माध्यम से कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

महोदया, कुछ ऐसी मेडीसिन हैं, जो बहुत आवश्यक हैं और इनका अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं रहती हैं। यह तो और भी गंभीर बात हो जाती है, जबकि सुपर बाजार, जहां कि हर किस्म की वाइटल और सेंक्शन मेडीसिन होनी चाहिए, वह भी कई बार देखा जाता है कि वहां उपलब्ध नहीं होती है।